बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा योजना के अंतर्गत जन शिकायतों के प्रभावी निष्पादन के लिए जिला स्तरीय लोकपाल के अवार्ड/आदेश से प्रभावित लोगों के द्वारा दायर अपील पर सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय "अपीलीय प्राधिकार" के गठन का प्रावधान है। विस्तृत दिशा-निर्देश यथा दायित्व एवं कर्तव्य विभागीय वेबसाईट (rdd.bih.nic.in) पर उपलब्ध है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11011/21/2008-NREGA (Pt.) दिनांक 28.08.2017 को निर्गत लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित संशोधित गाईडलाइन की कंडिका 13.4 के आलोक में राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय अपीलीय प्राधिकार का पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 30.09.2020 को 17:00 बजे तक होगी ।

नियुक्ति के शर्ते :-

1. अपीलीय प्राधिकार के सदस्यों का चयन दो वर्षों के लिए होगा । उनके द्वारा संपादित कार्यों के समीक्षोपरान्त उन्हें अधिकतम 2 बार (एक बार में एक वर्ष का) अवधि विस्तार किया जा सकेगा ।
2. अपीलीय प्राधिकार के सदस्यों को प्रत्येक बैठक दिवस हेतु 2000/- रूपया मानदेय के रूप में अधिकतम 40,000/- (चालीस हजार) रूपये प्रतिमाह देय होगा । इसके अलावे किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे ।
3. अपीलीय प्राधिकार के सदस्यों का कार्यालय राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग में होगा ।

योग्यता:-

1. Academics (शिक्षण) या सिविल सेवा या सिविल सोसाईटी और्गेनाईजेशन (NGO) में निम्न प्रकार से कम से कम 30 वर्षों का अनुभव होना चाहिये:-

क्रम सं0	पदनाम	योग्यता
1	अध्यक्ष	1. सेवानिवृत लोकसेवक (भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा/अन्य समकक्ष के सेवानिवृत अधिकारी)
2	सदस्य	1. किसी महाविद्यालय/उच्चतर/उच्च विद्यालय का सेवानिवृत प्राचार्य या 2. किसी मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालय का Retired Asst. Professor/Professor या 3. किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लब्ध प्रतिष्ठ अध्यापक या Academician ।
3	सदस्य	1. सामाजिक सेवा से जुड़े कोई लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति या 2. किसी सिविल सोसाईटी/ महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन का उच्च पदधारक या प्रतिनिधि 3. सामाजिक सेवा के कार्य में प्राप्त कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि।

2. अचूक सत्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों;
3. आवेदक किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए;
4. शारीरिक रूप से सक्रिय एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण हेतु इच्छुक एवं सक्षम हों;
5. लोकपाल (मनरेगा) के रूप में कम-से-कम एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

उम्र सीमा:- अधिकतम- 66 (छियासठ) वर्ष (01.01.2020 के आधार पर) ।

18.6.2020

विशेष सचिव

ग्रामीण विकास विभाग